महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकःरू.वि. / गोप. / प्रयो.मौ. / 2017–18 / दिनांकः 11 अक्टूबर, 2017

सेवा में, **(स्मरण पत्र)**

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
एम.जे.पी.रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषयः–स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में सेवारत शिक्षकों के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय / महोदया,

विश्वविद्यालय के पत्रांकः रू0वि0 / गोप. / प्रयो.मौ. / 2017–18 दिनॉक 09 अगस्त, 2017 को प्रेषित पत्र जिसमें स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में सेवारत शिक्षकों के सम्बन्ध में सूचना मॉगी गयी थी परन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा उक्त सूचना अभी तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

''परीक्षा समिति'' की समय–समय पर आयोजित बैठकों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में नियुक्त ऐसे शिक्षकों जो इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हों, अनुमोदनोपरान्त निरन्तर पॉच वर्षो से अध्यापन कार्य कर रहे हों, बैक के माध्यम से कम से कम विगत 12 माह से वेतन भुगतान हो रहा हो–को भी आन्तरिक परीक्षकत्व दिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

''परीक्षा समिति'' की बैठक दिनॉक 22 अप्रैल, 2015 में लिया गया निर्णय निम्नवत् है–

1. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को केवल अपने ही महाविद्यालयों में आन्तरिक परीक्षक बनाया जाय।
2. जो शिक्षक जिस पाठ्यक्रम के लिये अनुमोदित है उसे उसी पाठ्यक्रम (स्नातक / स्नातकोत्तर) हेतु आन्तरिक परीक्षक बनाया जाय।
3. महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के शिक्षकों का विश्वविद्यालय से अनुमोदन न होने तथा निर्धारित मानक पूर्ण न करने पर अनुदानित तथा राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को आन्तरिक परीक्षक बनाया जाय।
4. यह नियम सभी संकायों के स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू होगें।
5. मौखिकी / प्रयोगात्मक परीक्षाओं के आन्तरित परीक्षक बनाये जाने के सम्बन्ध में उक्त नियम समान रूप से लागू होगें।

''परीक्षा समिति'' की बैठक दिनॉक 14.06.2017 के क्रमांक 19 पर निर्णय लिया गया कि गृहविज्ञान बी.ए. / बी.एस–सी. की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुमोदन के उपरान्त अध्यापन करते हुए 03 वर्ष अथवा उससे अधिक समय हो गया हो तथा परास्नातक स्तर पर 05 वर्ष अथवा उससे अधिक समय अध्यापन करते हुए हो गया हो तथा बैक के माध्यम से कम से कम विगत 12 माह से वेतन भुगतान हो रहा हो, ऐसे शिक्षकों को उसी महाविद्यालय में आंतरिक परीक्षक बनाया जा सकता है।

अतः आपसे आपेक्षा की जाती है कि वॉछित सूचना उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में सेवारत अनुमोदित अर्ह शिक्षकों की प्रमाणित सूची निम्नांकित प्रारूप पर इस विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र, **अनुमोदित शिक्षक के रूप में अध्यापन अनुभव का प्रमाण पत्र, बैंक के माध्यम से विगत 12 माह से वेतन भुगतान के प्रमाण सहित दिनॉक–30.10.2017 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, इसके पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा अन्तिम सूची मानते हुए आन्तरिक परीक्षक एवं मूल्यॉकन हेतु नियुक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।**

प्रारूप

विषय	अनुमोदित शिक्षक का नाम	इस विश्वविद्यालय में अनुमोदन की तिथि	नियुक्ति की तिथि	अनुमोदन स्नातक / स्नातकोत्तर किस पाठ्यक्रम हेतु हैं।	मोबाइल नम्बर एवं ई.मेल आई.डी. (अवश्य अंकित किया जाये)

भवदीय

(महेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि–
1. निजी सचिव, कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. श्री रविन्द्र गौतम, प्रभारी वेवसाइट को विश्वविद्यालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

परीक्षा नियंत्रक